Form no. III App-A crim-1

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

कीर्तिमान खोटवाल .... बनाम .... सरकार

किस्म मुकदमा:- 251 A RT Act नं......./प्रा०पत्र/सत्र/2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/1/26	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21/1/26 को पेश हो। [signature]	
21/1/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 30/1/26 को पेश हो [signature] Report TQR प्राप्त। [signature]	
30/1/26	वकील प्रार्थी उप। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, TQR रिपोर्ट एवं बहस उभय पक्ष पर मनन कर प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नवीन मार्ग सृजित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शो० मि० किया गया। TQR तालेडा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	तहसीलदार रि... अनु... NOC ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
493/प्रा0पत्र/2026	13.01.2026	30.01.2026

कीर्तिमान खोईवाल पुत्र नरेश कुमार खोईवाल उम्र व्यस्क जाति खटीक निवासी ग्राम तिलकनगर जिला भीलवाडा राजस्थान .

--प्रार्थी

वनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।

–अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा स. 1108 रकबा 0.9389 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरियाकलां तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0सं0 1684/1109 रकबा 0.6070 हैक्टे वाके ग्राम ठीकरियाकला में विस्थित है। भूमि ख0सं0 1108 से भूमि ख0स0 1684/1109 में आने जाने के लिए कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए रास्ता मोजूद नही है जिस पर आने जाने के लिए भूमि ख0सं0 1685/1109 रकबा 0.4047 हेक्टे0 में से 30 फिट चौडा नया मार्ग सृजित होगा। इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0सं0 1110 रकबा 1.2383 हेक्टेयर वाके ग्राम ठीकरियाकला से प्रार्थी की भूमि ख0सं0 1097 रकबा 3.5693 हेक्टे वाके ग्राम ठीकरियाकला में पंहुच हेतु भूमि खसरा सं0 1111 रकबा 1.7401 हेक्टेयर वाके ग्राम ठीकरियाकला में से 30 फीट चौडाई का नया मार्ग सृजित होगा। अप्रार्थीगण की भूमि पर 30 फीट चौडाई का नवीन मार्ग सृजित नही किया गया तो रास्ते के अभाव में हमेशा के लिए पडत रह जायेगी। इससे भारी अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी द्वारा सहमति से रास्ता देने से मना करने पर वाद कारण उत्तन्न हुआ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा स. 1108 रकबा 0.9389 हैक्टेयर वाके ग्राम ठीकरियाकलां में से कृषि उपकरणो को प्रार्थी की भूमि ख0सं0 1684/1109 रकबा 0.6070 हैक्टे0 में लाने ले जाने के लिए भूमि ख0सं0 1685/1109 रकबा 0.4047 हैक्टे0 वाके ग्राम ठीकरियाकला एवं इसी प्रकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0सं0 1110 रकबा 1.2383 हेक्टेयर वाके ग्राम ठीकरियाकला से प्रार्थी की भूमि ख0सं0 1097 रकबा 3.5693 हेक्टे वाके ग्राम ठीकरियाकला में पंहुच हेतु भूमि खसरा सं0 1111 रकबा 1.7401 हेक्टेयर वाके ग्राम ठीकरियाकला में से 30 फीट चौडाई का नया मार्ग सृजित कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर गैरमुमकिन रास्ते के रूप में नोट अंकित करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 162 दिनांक 21.01.2026 एवं पत्रांक 216 दिनांक 17.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित पहुंच मार्ग ख0सं0 1108 से 1684/1109 तक पहुंच के लिए ख0सं0 1685/1109 से होकर गुजरता है तथा ख0सं0 110 से 1097 के पहुंच के लिए ख0स0 1111 से होकर गुजरता है। उक्त खसरा नम्बरान् को जोडने के लिए पूर्व से कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। उक्त आराजी खातेदारी भूमि पर जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता ख0सं0 1685/1109 रकबा 0.4047 हैक्टे0 एवं ख0सं0 1111 रकबा 1.7401 हेक्टे में से गुजरता है। उक्त पहुंच मार्ग हेतु 30 फीट चौडाई का रास्ता देने हेतु ख0सं0 1685/1109 मे से

384 हैक्टे0 तथा ख0सं0 1111 मे से 0.0192 हैक्टे0 भूमि दर्ज होगी। कुल प्रस्तावित रकबा 0.0576 हैक्टे0 होगा।

पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु सहमति व्यक्त की।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नकल जमाबंदी खाता संख्या 617 वाके ग्राम ठीकरियाकला पटवार हल्का बडून्दा सम्वत् 2076, नकल जमाबंदी खाता संख्या 161 वाके ग्राम ठीकरियाकला पटवार हल्का बडून्दा सम्वत् 2076, नकल जमाबंदी खाता संख्या 91 वाके ग्राम ठीकरियाकला पटवार हल्का बडून्दा सम्वत् 2076, नकल जमाबंदी खाता संख्या 71 वाके ग्राम ठीकरियाकला पटवार हल्का बडून्दा सम्वत् 2076 एवं नकल जमाबंदी खाता संख्या 1 वाके ग्राम ठीकरियाकला पटवार हल्का बडून्दा सम्वत् 2076 की प्रति पेश की।

वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम रास्ता तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उपयुक्त है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि पर नही होने से प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम होना अवगत कराते हुए रास्ता हेतु सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तहसीलदार तालेडा द्वारा न्यूनतम दूरी का प्रस्तावित रास्ता ख0सं0 1685/1109 रकबा 0.4047 हैक्टे0 एवं ख0सं0 1111 रकबा 1.7401 हेक्टे में से गुजरता है। उक्त पहुंच मार्ग हेतु 30 फीट चौडाई का रास्ता देने हेतु ख0सं0 1685/1109 मे से 0.0384 हैक्टे0 तथा ख0सं0 1111 मे से 0.0192 हैक्टे0 भूमि दर्ज होगी। कुल प्रस्तावित रकबा 0.0576 हैक्टे0 होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1108 रकबा 0.9389 है0 वाके ग्राम ठीकरियाकला पटवार मण्डल बडुन्दा तहसील तालेडा से ख0सं0 1684/1109 रकबा 0.6070 हैक्टे में आने-जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1685/1109 रकबा 0.4047 हैक्टे0 में से 0.0384 है0 एवं प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1110 रकबा 1.2383 है0 वाके ग्राम ठीकरियाकला पटवार मण्डल बडुन्दा तहसील तालेडा से ख0सं0 1097 रकबा 3.5693 हैक्टे में आने-जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए सिवायचक आराजी खसरा संख्या 1111 रकबा 1.7401 हैक्टे0 में से 0.0192 है0 भूमि संलग्न नक्शा अनुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित किया जावे तथा रास्ता का सीमांकन किया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थीगण से रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि का दुगुना राजकोष में नियमानुसार जमा किया जावे तत्पश्चात् राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेंगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेडा एवं प्रार्थीगण को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा